

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।

आदेश

प्रस्तुत वाद को सुना गया एवं वाद के समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में आदेश किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा, जनपद—मुरादाबाद।